सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

दिनांक: 21/08/2025

फा. सं.: NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC-RU-IV

सेवा मे,

1. **श्री मिलिंद देउस्कर**
   महाप्रबंधक
   पूर्वी रेलवे भारतीय रेल,
   नेताजी सुभाष रोड फेयरली प्लेस,
   कोलकाता,
   पश्चिम बंगाल 700001
   E.mail: gm@er.railnet.gov.in

2. **श्री चेतना नन्द सिंह**
   मंडल रेल प्रबंधक
   कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक,
   डीआरएम बिल्डिंग पूर्वी रेलवे,
   आसनसोल डिवीजन,
   आसनसोल, पश्चिम बंगाल – 713301
   E.mail : drm@asn.railnet.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्वी रेल्वे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।

संदर्भ: एनसीएसटी पत्र दिनांक 16.06.2025 के साथ मामले मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषक /जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **28.08.2025 को 12:00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

यो.प्र. 21/8/25

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री अभिलाष लकड़ा,
मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला,
जिला – हजारीबाग (झारखंड)
मो न :9934955030.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

23/5/24
शनिवार

सेवा में,
रिसर्च ऑफिसर
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स
रांची, झारखंड

27/5/24

विषय:- मेरे नियोक्ता द्वारा शारीरिक - मानसिक - आर्थिक रूप से अत्याचार कर प्रताड़ित किया जा रहा है।

महोदय / महोदया,

आपके कार्यालय के फोन नंबर 0651-2340368 पर कार्यालय को शाम 4.31 बजे कॉल किया था। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि आनलाइन कंप्लेन किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपके कार्यालय के ई-मेल ro-ranchi@ncst.nic.in पर एक कंप्लेन मेरे ई-मेल abhilashlakra44@gmail.com से 15/05/24 को 8.42 बजे सुबह भेजा था। कृपया उस पर संज्ञान लेकर मेरी मदद कीजिए। कृपया एक जाँच अधिकारी नियुक्त कर मेरे केस की जाँच कीजिए। मुझे विभाग में झूठे चार्जशीट में फंसाया जा रहा है। इस बारे में मैं अपने विभाग के सचिव स्तर के अधिकारियों को भी कई बार खत लिख चुका हूँ पर कोई मदद नहीं कर रहा है।

चार्जशीट में कहा गया है कि मैं [illegible] से अवैध अनुपस्थित हूं, मगर मुझे मई-2021 का पूरा महीना (31 दिन) का वेतन मिला है। अगर मैं अनुपस्थित होता तो वेतन कैसे निर्गत होता?

मेरे पास डिजिटल एविडेंस (C.D.R और कॉल वायस रिकार्डिंग भी है) है जो मैं जाँच प्रक्रिया शुरू होने पर जाँच अधिकारी को देना चाहता हूं। कृपया जाँच शुरू करके मेरी मदद करें।

P.T.O. →

डायरी सं० 121 Gen
दिनांक 27-5-24

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)

(झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

(Regional Office for Jharkhand, Bihar and Uttar Pradesh)

नोटिस

फा. सं.: **NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC** (70-72) दिनांक: 17/06/2024

1. **श्री मिलिंद देउस्कर**
   महाप्रबंधक,
   पूर्वी रेलवे, भारतीय रेल,
   नेताजी सुभाष रोड, फेयरली प्लेस,
   कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001

2. **श्री चेतना नन्द सिंह**
   मंडल रेल प्रबंधक,
   कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
   डीआरएम बिल्डिंग, पूर्वी रेलवे,
   आसनसोल डिवीजन, पश्चिम बंगाल 713301

विषय: अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्वी रेल्वे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री अभिलाष लकड़ा से दिनांक 27/05/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग
प्रेषति/Issue 70-72
दिनांक 17/06/024

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अभिलाष लकड़ा, मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला, जिला - हजारीबाग (झारखंड)
Mobile No:9934955030

14 न्यू ए.जी. को - ऑपरेटिव कॉलोनी कडरु, रांची (झारखंड) - 8340002

14 New A.G. Co- operative Colony Kadru, Ranchi (Jharkhand) - 834002

E Mail : ro-ranchi@ncst.nic.in, Telefax: 0651-2340368 , 0651-2912368